HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous II Bail Application No. 17010/2026
CNR: RJHC021038082026 | URN: CRLMB / 31361U / 2026

Jodhraj S/o Suresh Chand Jaga, Aged About 25 Years, R/o Paadli, Police Station Kundera, District Sawai Madhopur (Raj.) (At Present In District Jail, Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous II Bail Application No. 17633/2026
CNR: RJHC021044252026 | URN: CRLMB / 32406U / 2026

Santosh S/o Buddhiprakash, Aged About 32 Years, R/o Paadli, Police Station Kundera, District Sawai Madhopur. (At Present Confined In Sawai Madhopur Central Jail)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ajay Pratap Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/11/2026

कार्यालय द्वारा लगाए गए आक्षेपों के संबंध में प्रार्थी–अभियुक्त संतोष के विद्वान अधिवक्ता ने दस्तावेज पेश किए, जिनका अवलोकन करने के पश्चात् उन्हें अभिलेख पर लिया जाता है और कार्यालय द्वारा लगाए गए आक्षेपों को दूर किया जाता है।

प्रार्थीगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर, जिला–सवाई माधोपुर में

दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 278/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 112(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु ये दोनों द्वितीय प्रार्थना–पत्र पेश किये गये हैं।

दोनों प्रार्थना पत्र एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही आदेश से किया जा रहा है।

प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री मांगेलाल यादव, एसएचओ, कोतवाली, जिला सवाई माधोपुर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त **जोधराज** का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत का प्रथम प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2026 को निरस्त किया गया था। उनका तर्क है कि प्रार्थी के मोबाईल फोन के संबंध में साईबर पोर्टल पर तीन शिकायतें दर्ज हैं, जो कि 2,600/–, 5,000/–, व 3,000/– रुपये से संबंधित है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 05.08.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा पूर्ण होने में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त **संतोष** का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत का प्रथम प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2026 को निरस्त किया गया था। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के खाते में साईबर ठगी से संबंधित 5,000/– व 3,000/– रुपये आना बताए गए हैं। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 05.08.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 112(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के अपराधों का अभियोग है।

प्रार्थी–अभियुक्त **जोधराज** पर आक्षेप है कि उसके द्वारा 16,000/– रुपये की साईबर ठगी की है, जिसमें से 4,600/– रुपये सहअभियुक्त बृजलाल के खाते में अंतरित हुए हैं तथा अभियुक्त **संतोष** के खाते में दो बार में 5,000/– व 3,000/– रुपये सहित कुल 8,000/– रुपये की साईबर ठगी की राशि अंतरित की है। उनका तर्क है कि साईबर पोर्टल पर प्रार्थी संतोष के विरुद्ध 2 शिकायतें दर्ज हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थी जोधराज के विरुद्ध साईबर पोर्टल पर 3 शिकायतें दर्ज है, जो 2,600/–, 3,000/–, व 2,000/– रुपये की राशि से संबंधित हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध गंभीर अपराध के अभियोग हैं, अतः उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त **जोधराज** के विरुद्ध साईबर पोर्टल पर तीन शिकायत दर्ज होना बताया गया है, जो कि कुल 10,600/– रुपये से संबंधित हैं तथा अभियुक्त **संतोष** के विरुद्ध दो शिकायत होना बताया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त जोधराज पर आक्षेप है कि उसने साईबर ठगी से संबंधित कुल 8,000/– रुपये की राशि अभियुक्त संतोष के खाते में डलवाई है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थीगण दिनांक 05.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होते हैं।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह दोनों द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्तगण भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्तगण इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्तगण को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। अभियुक्तगण द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्तगण के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/S-A/90-91/NIMIT GOYAL